

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 19, बुधवार, शाके 1947- सितम्बर 10, 2025 <i>Bhadra 19, Wednesday, Saka 1947- September 10, 2025</i>	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज़ार्ये।

जल संसाधन विभाग

घोषणा

जयपुर, अगस्त 18, 2025

संख्या:14/भू.अ./ज.स./2019/1271-1275:-चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ फॉर वाटर कन्सेप्ट के अन्तर्गत माईक्रो ईरिगेशन टैंक करवाडा के निर्माण कार्य में आने वाली भूमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है। यह घोषणा की जाती है कि संलग्न सूची में वर्णित भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

यह घोषणा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के प्रावधानुसार उन सब हितकारियों के निमित्त जिनका इससे संबंध हो, जारी की जाती है तथा भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रानीवाडा, जिला जालोर को कथित भूमि की अवाप्ति के निमित्त कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

भूमि के नक्शे का निरीक्षण भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रानीवाडा, जिला जालोर तथा अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, जालोर के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरण

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड जालोर

केन्द्रीय भूमि अर्जन] पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत धारा 19 के प्रस्ताव

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम एक्ट 2013 के तहत धारा 19 की कार्यवाही हेतु करवाडा एम.आई.पी निर्माण से प्रभावित भूमि का विवरण

गांव:- करवाडा, ग्राम पंचायत:- करवाडा, तहसील:- रानीवाडा, जिला -जालोर

क्रं.सं.	भूमिधारक का नाम	खसरा नं.	किस्म भूमि	भूमि का कुल रकबा	अवाप्त की जाने वाली भूमि का रकबा	वि.वि.
					हेक्टर	हेक्टर
1	2	3	4	5	6	7

	B- सरकारी					
1	राजस्थान सरकार	580	गैर मुमकिन नाला	3-78	1-90	
		719	गैर मुमकिन रास्ता	1-09	0-06	
		763	गैर मुमकिन शमशान	1-42	0-04	
2	ग्राम पंचायत करवाडा	761	बरानी दोयम	12-55	4-56	
	योग	4		18-84	6-56	
	(खातेदारी- सरकारी) कुल योग	7		24-85	7-54	

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड जालोर

केन्द्रीय भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्ग्रहणवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार
अधिनियम 2013 के तहत धारा 19 के प्रस्ताव
केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम एक्ट 2013 के तहत धारा 19 की कार्यवाही हेतु करवाडा
एम.आई.पी निर्माण से प्रभावित भूमि का विवरण

गांव:- करवाडा ग्राम पंचायत:- करवाडा तहसील:- रानीवाडा जिला - जालोर

क्र. सं.	भूमिधारक का नाम	खसरा नं.	किस्म भूमि	भूमि का कुल रकबा	अवाप्त की जाने वाली भूमि का रकबा	वि.वि .
					हेक्टर	हेक्टर
1	2	3	4	5	6	7
	A- खातेदारी					
1	1.कालुसिंह पुत्र गणपतसिंह हिस्सा-1/4 जाति-राजपूत सा. देह खातेदार 2.पप्पूसिंह पुत्र गणपतसिंह हिस्सा-1/4 जाति-राजपूत सा. देह खातेदार 3.मानसिंह पुत्र गणपतसिंह हिस्सा-1/4 जाति-राजपूत सा. देह खातेदार 4.शैतानसिंह पुत्र गणपतसिंह हिस्सा-1/4 जाति-राजपूत सा. देह खातेदार	568	बरानी सोयम	3.68	0.60	
2	भगवानाराम पुत्र कोजा हिस्सा पूर्ण जाति	569	चाही	2.29	0.36	

	विश्वनोई सा. देह खातेदार		प्रथम			
3	1.चिमाराम पुत्र धर्माराम हिस्सा-1/2 जाति विश्वनोई सा. देह खातेदार 2.भगवानाराम पुत्र कोजा हिस्सा 1/2 जाति विश्वनोई सा. देह खातेदार	1703/5 69	जाव प्रथम	0.04	0.02	
		3		6.01	0.98	

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड जालोर

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम एक्ट 2013 के तहत धारा 19 की कार्यवाही हेतु करवाडा एम.आई.पी निर्माण से प्रभावित भूमि का विवरण

भूमि का ग्रामवार गौश्वारा

क्रं. सं.	नाम ग्राम	वन विभाग			चारागाह/ चरनोट			बिलानाम सरकारी			खातेदारी			समस्त योग		
		कुल खसरा नं.	कुल खसरा बीघा/बिस्वा	अवाप्ति रकबा बीघा/बिस्वा	कुल खसरा नं.	कुल खसरा बीघा/बिस्वा	अवाप्ति रकबा बीघा/बिस्वा	कुल खसरा नं.	कुल खसरा बीघा/बिस्वा	अवाप्ति रकबा बीघा/बिस्वा	कुल खसरा नं.	कुल खसरा बीघा/बिस्वा	अवाप्ति रकबा बीघा/बिस्वा	कुल खसरा नं.	कुल खसरा बीघा/बिस्वा	अवाप्ति रकबा बीघा/बिस्वा
1	करवाडा	0	0	0	0	0	0	4	18.84 हे.	6.56 हे.	3	6.01 हे.	0.98 हे.	7	24.85 हे.	7.54 हे.

मुकेश कुमार गुप्ता,
उप सचिव एवं प्रावै. सहा.
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।